

FORM NO III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अदालत उपखण्ड अधिकारी अंराई

मुकाम अराई (अजमेर)

• शिवराज पुत्र स्व.नारायण जाति जाट आयु बालिग निवासी ग्राम जोरावरपुरा तहसील अराई जिला अजमेर राज व अन्य।
—वादीगण

बनाम

• कंचन पुत्र नोरत जाति जाट, आयु बालिग निवासी ग्राम जोरावरपुरा तहसील अराई जिला अजमेर राजस्थान व अन्य।
—प्रतिवादीगण

किस्म मुकदमा— धारा 53,188 अन्तर्गत राज0 का0 अधि0 1955

नंबर 24/2022

ऑनलाइन नंबर 2022/130

वकील वादीगण :- इन्द्रेश के.रामचन्दानी

वकील प्रतिवादीगण.....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
23.11.2022	यह वादपत्र वादीगण की ओर से वादी वकील श्री इन्द्रेश के. रामचन्दानी द्वारा अन्तर्गत धारा 53,188 राज.का. अधि. 1955 के तहत पेश किया। वाद पत्र पर वकील वादी को सुना गया। प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा प्रतिवादीगण की तलबी होकर पत्रावली दिनांक 23.12.2022 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी अराई	
	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान् उपस्थित। P.O. साहब चुनाव कार्य/राजकार्य/दौरे/अवकाश पर पधारे। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 02/12 को पेश हो।	
10/2/23	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान् उपस्थित। P.O. साहब चुनाव कार्य/राजकार्य/दौरे/अवकाश पर पधारे। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 02/12 को पेश हो।	
		दिनांक 12.5.23 पत्रावली राज्य सरकार व राजस्व मण्डल के द्वारा जारी आदेशानुसार नियत तिथि से पूर्व तलब की गई। सम्बन्धित पक्षकारों को नोटिस जारी किये गए तथा तलबी प्राविधिकगण को सूचित किया जाकर पत्रावली नियत तिथि से पूर्व दिनांक 16.5.23 को कोर्ट में पेश हो। उपखण्ड अधिकारी अराई

शिवराज - केचन CNV-124/22

14/11/22

पुणवली पंच दुही वनील परशाज सुभु/
व्यामालय सपनस कर-रु कावपेलगवर्
गरे मित्र वनील परशाज सुभु/ पुणवली
मद्रकली एवं काम परकीने खाडीने
पुणवली पुणवली पुणवली पुणवली पुणवली
कम ही लुप